"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2006—भाद्र 3, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-06/2005/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/47/2001-एआईएस (I), शून्य जून 2002 एवं दिनांक 13-7-2005 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री शान्तनु, भा. प्र. से. (MT:1997) की सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को अंतराज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई थी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. अत: श्री शान्तनु, भा.प्र.से. की सेवायें प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर उनके पैतृक संवर्ग (मणिपुर-त्रिपुरा शासन) को तत्काल प्रभाव से वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2006

क्रमांक 10755/डी-1947/21-ब/छ.ग./2006.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छ. ग. राज्य के उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित प्रकरणों में पैरवी के लिए श्री जुगल किशोर टिकमचंद गिल्डा, अधिवक्ता को रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रु. मात्र) मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 28-2-2007 तक की अवधि हेतु छ. ग. राज्य के लिए अति. महाधिवक्ता नियुक्त करता है.

इनका सामान्य कार्यालय दिल्ली होगा एवं राज्य शासन, समय-समय पर अन्य न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व हेतु निर्देशित कर सकेगी.

दोनों पक्ष एक माह की सूचना देकर कभी भी संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible]. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2006

क्रमांक/3166/डी-15/55/2006-07/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 26 के अनुसार राज्य की कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के निर्वाचन के लिये निम्नानुसार समय अनुसूची एतद्द्वारा विहित करती है :—

क्रमांक	कार्य का नाम	नियमानुसार समयावधि	कार्य किसके द्वारा करना है	निर्वाचन नियम	प्रस्तावित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शासन द्वारा निर्वाचन सूचना जारी करना.	राज्य शासन द्वारा नियत की गई तिथि को.	राज्य शासन	नियम-26	26-10-2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	निर्वाचन सूचना	राज्य शासन द्वारा नियत की गई तिथि को.	जिला निर्वाचन अधिकारी.	नियम-29 एवं 30	30-10-2006
3.	नामनिर्देशन-पत्र जमा करने का अंतिम दिन.	सूचना प्रकाशन की तारीख के पश्चात् का सातवां दिन.	रिटर्निंग आफिसर	नियम-33	6-11-2006
4.	नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.	नामनिर्देशन के नियत की गई अंतिम तारीख के ठीक आगामी दिन.	रिटर्निंग आफिसर	नियम-34	7-11-2006
5.	उम्मीदवारी वापसी की सूचना की प्राप्ति तथा उसकी अभिस्वीकृति भेजना.	संवीक्षा के तारीख के पश्चात् का दूसरा दिन.	रिटर्निंग आफिसर	-	9-11-2006
6.	यदि आवश्यक हो तो मतदान.	नियम 26 के अधीन सूचना प्रकाशन की तिथि से कम से कम 20 दिन पश्चात्.	कलेक्टर/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग आफिसर.	-	20-11-2006
7.	मतगणना	मतदान की तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे से.	रिटर्निंग आफिसर	-	20-11 2006
8.	सारणीकरण एवं परिणाम घोषणा.	राज्य शासन द्वारा घोषित तिथि को.	रिटर्निंग आफिसर	-	21-11-2006

और

(आ) 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कृदत्त, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2006

क्रमांक/3276/बी-14/12/2004/14-2.—विभाग के अधिसूचना क्रमांक-684/बी-14/12/2004/14-2 दिनांक 16-6-2004 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मंडल में निम्नलिखित कृषकों को सदस्य नामांकित किया गया है :—

क्र. (1)	क्षेत्र का नाम (2)	कृषक का नाम (3)
1.	छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र से	श्री भोजराम राजवाड़े, ग्राम कनकी, तहसील-जिला कोरबा

(1)	(2)	(3)
2.	बस्तर का पठार से	श्री चंद्रशेखर जोशी, ग्राम तोकापाल, जिला बस्तर
3.	उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से	श्री प्रीतम सिंह कंवर, ग्राम-पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, मनेन्द्रगढ़

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त नामांकित सदस्यों के कार्यकाल में उक्त अधिसूचना में दर्शित अवसान तिथि से आगामी दो वर्षों की वृद्धि की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2006

क्रमांक एफ-2-23/02/एम.—जिला राजनांदगांव के अंतर्गत बेस-मेटल्स के अन्वेषण हेतु 481.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स मीरा एक्सप्लोरेशन प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-09-2002 को स्वीकृत रिकॉनैसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 30-12-2002 को हुआ था.

1. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में 481.25 वर्ग किलोमीटर पर स्वीकृत रिकॉनैसन्स परमिट का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

2. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लेखित है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 D का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	80°40'00"	20°30'00"	3.	C	80°50'00"	20°45'00"
2.	B	80°50'00"	20°30'00"	4.	D	80°40'00"	20°45'00"

3. अनुसूची-एक में उल्लेखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत रिकॉनैसन्स परमिट स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनैसन्स परमिट के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2006

क्रमांक एफ-2-24/02/एम.—जिला कांकेर के अंतर्गत डायमण्ड, गोल्ड एण्ड अदर एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स एम्परर ग्रेनाइट्स प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-09-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 3-12-2002 को हुआ था.

1. कम्पनी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी के पक्ष में रिकॉनेसन्स परमिट हेतु स्वीकृत 1000 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र खाली हो गया है.

2. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लिखित है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 H का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	A	81°36'00"	20°30'30"	3.	C	81°51'00"	20°05'00"
2.	B	81°36'00"	20°05'00"	4.	D	81°51'00"	20°09'46"
D से A कांकेर-धमतरी जिले की सीमा के साथ							

3. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत रिकॉनेसन्स परमिट स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् रिकॉनेसन्स परमिट के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक एफ-1 (ए)1/02/स्था/चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के पैरा (क) एवं (ख) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में :—

1. पैरा (क) में, सरल क्रमांक 05 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

6. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर.
7. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई.
8. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर.
9. छत्तीसगढ़ राज्य स्थित मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष.
10. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर.

2. पैरा (ख) में सरल क्रमांक 03 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये :—

4. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर.

Raipur, the 11th August 2006

No. F-1 (A) 1/02/Estt/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973) the State Government. hereby makes the following amendments in para (A) and (B) of the Schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said schedule :—

1. After serial number 05, in para (A) of the following serial number shall be added, namely :—

"6. Pandit Sunderlal Sharma (Open) University, Bilaspur.

7. Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai

8. Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University, Raipur.

9. Regional Centre superintendent of Madhaya Pradesh Bhoj (Open) University, situated in Chhattisgarh.

10. Chhattisgarh Vyavasayik Pariksha Mandal, Raipur."

2. After serial number 03, in para (B) of the following serial number shall be added :—

"4. Chhattisgarh Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine and Naturopathy, Raipur."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, विशेष सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक 6190/एफ-17-21/04/19/तक.—जिन्दल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 200 के कि. मी. 282/10 से 285/10 में नवीन व्यपवर्तित मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदण्डों के अनुरूप निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर पुराने (मूल) मार्ग की 12.65 एकड़ भूमि को पुराने मार्ग सहित जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ को एतद्द्वारा हस्तांतरित किया जाता है :—

1. मूल मार्ग का समस्त संवर्धन एवं संधारण कार्य जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा किया जावेगा.

2. जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा मूल मार्ग का सार्वजनिक उपयोग हेतु खुला रखा जावेगा. जिसे उनके द्वारा व्यापारिक वाहनों के प्रवेश हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है.

3. छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम 2003 का पालन करते हुए जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा व्यपवर्तित मार्ग के मध्य से दोनों ओर 30-30 मीटर अर्थात् कुल 60 मीटर भूमि को कलेक्टर रायगढ़ द्वारा तय बाजार दर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

4. मूल मार्ग की सड़क सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार की स्थायी संरचना/भवन निर्माण आदि नहीं किया जा सकेगा.

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 22nd August 2006

No. 6190/F-17-21/04/19/Tec.—In view of the completion of construction of a new road from Km. 282/10 to 285/10 of National Highway No. 200 by Jindal Steel & Power Ltd. Raigarh, the original road and land of the right of way of approximately 12.65 acres is transferred to Jindal Steel & Power Ltd. Raigarh. by the State Government with the following condition :—

1. The repair and maintenance work of original road will be done by the Jindal Steel & Power Ltd. Raigarh.

2. The original road (old road) should be made available for public use. Use for commercial vehicles may however be prohibited.

3. By abiding C. G. Highway Act 2003 the Jindal Steel & Power Ltd. Raigarh. will provide land width of 60 m (30 meter on either side of the centre line of Road) as and when required for widening of the newly constructed road at market rates as decided by collector Raigarh.

4. No permanent Structures/building would be constructed on the right of way of the road.

This order shall come into force from the date of its Notification, in the Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, प्रमुख सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक एफ-5-8/दो/आठ-परि./2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग क) के अन्तर्विष्ठ उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर एवं रायपुर क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चितकरण (Route Formulation) करती है :—

बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत—

क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)	व्हाया (3)
1.	सूरजपुर से बलदेवनगर	श्रीनगर, गणेशपुर, ब्रम्हपुर, प्रेमनगर, केदारपुर, वकीरा, महेशपुर
2.	सूरजपुर से महेशपुर	कलुआ, चम्पकनगर, देवनगर, श्रीनगर, गणेशपुर, खजरी, नवापारा, वकीरमा, सरसताल, बलदेवनगर.
3.	सूरजपुर से पण्डोपारा	कमलपुर, गंगोटी, बडसरा, टेंगनी, खांड, जूर, बजा, सोनपुर
4.	सूरजपुर से मोहनपुर	केतका, साल्ही, दवना, पतरापाली, पोंडी, सूरता
5.	सूरजपुर से बैकुंठपुर	पोडी, तेजपुर, नावापारा, भांजा, चीरमी, बसंतपुर, रतनपुर, बदरं, जगंधा, दानीकुंडी.
6.	सूरजपुर से पेण्ड्रारोड	श्रीनगर, कचनपुर, नावापारा, भांजा, चीरमी, बसंतपुर, रतनपुर, बदर, जगंधा, दानीकुंडी.
7.	बरबसपुर से जरौंधा	बचरापोडी, रतनपुर, देवाडांड, चिरमिरी
8.	उदयपुर से बिनिया	लक्ष्मणगण, सायद, केदमा
9.	सूरजपुर से कल्याणपुर	विश्रामपुर, दतीमामोड, लटोरी, मजीरा
10.	सूरजपुर से लखनपुर	विश्रामपुर, गुमगरा, केवरा, बेलखरीखा, दरीमा
11.	सूरजपुर से श्रीनगर	कलुआ, देवनगर
12.	सूरजपुर से रामानुजनगर	देवीपुर, केतका, कोट, पटना, पतरापाली
13.	सूरजपुर से भैंसवार	श्रीनगर, कुडेली, भाजा, नवापारा, बैकुंठपुर, सोनहत
14.	बाल्को से मालखरौदा	बाल्को, चाम्पा, बाराद्वार, जैजैपुर, कचंदा
15.	बेलिया से बैकुंठपुर	सोनारी, सुन्दरपुर, लटमा, खरवत
16.	सामरबार से रायगढ़	बिमडा, जुजगु, पसया, कांसाबेल, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा
17.	बगीचा से कांसाबेल	महादेवडांड
18.	बगीचा से सन्ना	पण्ड्रापाट
19.	बिलासपुर से कोरबा	मटियारी, सेलर, बेलतरा, पाली, दीपका
20.	कोरबा से चन्द्रपुर	भैसमा, नलूनविरों, रामपुर, खरसिया, धूरकोट, पगोंद
21.	कुली से कटघोरा	अदराली, बोइदा, दीपका, तिवरता, चैतमा
22.	सरईपाली से सीपत	खम्हरिया
23.	बेलगहना से मुंगेली	रतनपुर, कोटा, लोरमी, कंतेली
24.	बिरगहनी से मुंगेली	रतनपुर, कोटा, लोरमी, कंतेली
25.	राम्हेपुर से बिलासपुर	नवरंगपुर, डिंडोरी, खाम्ही, लोरमी, पैजनिया, सेनरसल, जरहागांव, तखतपुर
26.	खाम्ही से बिलासपुर	लोरमी, कोटा, गनियारी

(1)	(2)	(3)
27.	लोरमी से बिलासपुर	पैजनिया, संरमसल, जरहागांव, तखतपुर
28.	बिलासपुर से कोरबा	रतनपुर, सिल्लीमोड, परसदा, पोडी, पाली, दीपका, हरदीबाजार, भिलाईबाजार, कोरबा.
29.	कोरबा से बिलासपुर	कुसमुण्डा, भिलाईबाजार, हरदीबाजार, दीपका, पाली, बेलतरा, कोरबी, मटियारी, सीपत, बिलासपुर.
30.	सामरी से चान्दो	संरईडीह
31.	उमेश्वरपुर से अंबिकापुर	प्रेमनगर, तारा, उदयपुर, लखनपुर
32.	लक्ष्मीपुर से अंबिकापुर	लक्ष्मीपुर, गुमदरा, खम्रीया, लखनपुर
33.	बैकुंठपुर से मनेन्द्रगढ़	खधौरा, बचरापोडी, खडगवां, देवाडांड, कोड़ा, नदगी
34.	बिलासपुर से मुंगेली	रतनपुर, कोटा, लोरमी, कंतेली
35.	रतनपुर से मुंगेली	कोटा, लोरमी, कंतेली
36.	कोरबी से बिलासपुर	रानीअटारी, पिपरिया, पसान, कोटमी, बस्तीबंगरा, आमाडांड, केंदा, रतनपुर
37.	मनेन्द्रगढ़ से बिलासपुर	बुंदेली, उधनापुर, देवाडांड, सिगार, बहरा, पिपरिया, पसान, कोटमी, भाड़ी, दुबरीया, पेण्ड्रा, बसंतपुर, केंदा, रतनपुर.
38.	मनेन्द्रगढ़ से बिलासपुर	बुंदेली, उधनापुर, देवाडांड, सिगार, बहरा, पिपरिया, पसान, कोरबी, चोटिया, कटघोरा, पाली, रतनपुर.
39.	बैकुंठपुर से चिरमिरी	नागपुर, पोडी
40.	बैकुंठपुर से चिरमिरी	अमरपुर
41.	बैकुंठपुर से चिरमिरी	बंजारीडांड, दूबछोला
42.	बैकुंठपुर से बरतुंगा	बरबसपुर, नागपुर, पोडी
43.	वाड्रफनगर से बलंगी	रघुनाथपुर
44.	डूमरडीह से सीतापुर	धौरपुर, पटोरा, लुण्ड्रा, रघुनाथपुर, बतौली, सेदम, काराबेल
45.	राजपुर से सीतापुर	बरियों, धौरपुर, पटोरा, लुण्ड्रा, रघुनाथपुर, बतौली, काराबेल
46.	रायगढ़ से कोरबा	घरघोड़ा, टेन्डानवापारा, छाल, एड़मांड, खरसिया, एड़मांड, रामपुर, भेंसमा
47.	डूमरडीह से अंबिकापुर	धौरपुर, करौली, बतौली, जमीरा, बरडीह, आरा, ककना
48.	सारंगढ़ से चिरमिरी	शिवरीनारायण, चांपा, कोरबा, कटघोरा, चोटिया, खड़गांव
49.	जनकपुर से बैकुंठपुर	बहरासी, तिलोखन, केल्हारी, कछोड, बिहारपुर, गुरूडोल, अकलासरई, भेंसवार, सोनहत, कटगोडी, खरबद.
50.	बदरा से कोडा	भैंसवार, सोनहत, बैंकुठपुर, मनसुख, दुबछोला, खड़गवां, शिवपुर, बरदर, देवाडांड.
51.	लंवग से जौधरा	अहिदा, पण्डरिया, चिचिरदा
52.	लंवग से बिलासपुर	पण्डरिया, जौधरा, मलहार, मस्तूरी
53.	बिलासपुर से कसडोल	मलहार, जौधरा
54.	मुकडेगा से गझीचाडीह	पण्डरी, झरिया, कोल्हेनझरिया
55.	कोल्हेनझरिया से सोनाजोरी	पण्डरी, झरिया

छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़-झारखण्ड राज्य के अन्तर्राज्यीय मार्ग—

1.	मनेन्द्रगढ़ से डिंडोरी	राजनगर, अनूपपुर, गाडासरई
2.	रींवा से मनेन्द्रगढ़	गोविन्दगढ़, ब्योहारी, शहडोल
3.	रींवा से अंबिकापुर	गोविन्दगढ़, ब्योहारी, शहडोल, मनेन्द्रगढ़
4.	रायगढ़ से रींवा	पत्थलगांव, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, शहडोल, ब्योहारी, गोविन्दगढ़

(1)	(2)	(3)
5.	मनेन्द्रगढ़ से अमरकंटक	राजनगर, मरवाही, पेण्ड्रा, केंवची
6.	शहडोल से पेण्ड्रा	वैंकठनगर
7.	शहडोल से पेण्ड्रारोड	बुढार, जैतहारी, बैंकटनगर
8.	पेण्ड्रारोड से अनूपपुर	बैंकटनगर, जैतहारी
9.	शहडोल से मनेन्द्रगढ़	बुढार, अनूपपुर, राजनगर, रामनगर
10.	मनेन्द्रगढ़ से अनूपपुर	राजनगर, मरवाही, पेण्ड्रा, बैंकठनगर
11.	शहडोल से मरवाही	अनूपपुर, बैंकठनगर, पेण्ड्रा
12.	बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़	रतनपुर, कैंदा, वसंतपुर, पेण्ड्रारोड, मरवाही
13.	करपा से पेण्ड्रारोड	अमरवार, राजेन्द्रनगर, करमाघाट
14.	पेण्ड्रारोड से शहडोल	सिवनी, जैतहारी, अनूपपुर, बुढार
15.	पेण्ड्रारोड से बेनीवारी	वैंकठनगर, जैतहारी, अनूपपुर, राजेन्द्रग्राम
16.	पेण्ड्रारोड से अनूपपुर	अमरकंटक
17.	पेण्ड्रारोड से अनूपपुर	वैंकठनगर, जैतहारी
18.	जनकपुर से जयसिंगनगर	बुढवा, पचपेढी
19.	सीधी से जनकपुर	चौपाल, मडवास, हरदी, माडीसराई, देवगढ़
20.	मनेन्द्रगढ़ से अनूपपुर	राजनगर, मरवाही, पेण्ड्रा, बैंकठनगर
21.	व्योहारी से जनकपुर	बनसुकली
22.	शहडोल से मरवाही	अनूपपुर, बैंकठनगर, पेण्ड्रा
23.	शहडोल से तिलोखन	बुढार, अनूपपुर, कोतमा, राजनगर
24.	बालाघाट से कवर्धा	बैहर, गण्डई
25.	पेण्ड्रारोड से केसवाही	पेण्ड्रा, कुदरी, कोटमी, दानीकुण्डी, मरवाही, बरटोला, बरोर, [illegible], [illegible] कोतमा, सिमरिया.
26.	पेण्ड्रारोड से हरदी	बैंकठनगर, जैतहारी, अनूपपुर, धनपुरी, बुढार
27.	करपा से पेण्ड्रारोड	अमरवार, राजेन्द्रनगर, करमाघाट
28.	पेण्ड्रारोड से कोतमा	पेण्ड्रा, सिवनी, चोलना, भालूमाडा
29.	कोतमा से करंजिया	भालूमाडा, जमना, चोलना, सिवनी, निमधा, धनपुर, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, केंवची, अमरकंटक.
30.	भगवानपुर से बेढन	वाड्रफनगर, वंलगी
31.	कोरबा से अनूपपुर	कटघोरा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़
32.	पेण्ड्रारोड से गोपालपुर	केवंची, अमरकंटक
33.	अंबिकापुर से अनूपपुर	बैंकठपुर, मनेन्द्रगढ़
34.	पेण्ड्रारोड से बजाग	केंवची, अमरकंटक, करंजिया
35.	बिलासपुर से अनूपपुर	कोटा, केंवची, पेण्ड्रारोड, बैंकठनगर
36.	भर्रीडांड से पढोर	दानीकुण्डी, मरवाही, बरोर, आमाडांड, प्यारी, भालूमाडा, कोतमा, [illegible], जमना, परासी.
37.	शहडोल से मरवाही	राजनगर, झिरियाटोला, आमाडांड, बरतरा, जनकपुर
38.	जयसिंगनगर से कोटाडोल	कुबरी, अमझोर, सीधी, जनकपुर
39.	शहडोल से गोरखपुर	धनपुर, राजेन्द्रग्राम, लीलाटोला, बेनीवारी, गाडासरई
40.	मनेन्द्रगढ़ से लीलाटोला	खोंगापानी, राजनगर, कोतमा, बदरा, पसला, अनूपपुर
41.	अनूपपुर से गौरेल्ला	जैतहारी, बैंकठनगर
42.	वाड्रफनगर से बेढन	–
43.	मण्डला से पेण्ड्रारोड	डिंडोरी, गाडासरई, गोरखपुर, करंजिया, अमरकंटक, केंवची

(1)	(2)	(3)
44.	डिंडोरी से कोरबा	गाडासरई, गोरखपुर, अमरकंटक, पेण्ड्रारोड, पस्मान, जड़गा, कटघोरा
45.	डिंडोरी से बिलासपुर	गाडासरई, गोरखपुर, करंजिया, अमरकंटक, केंवची, करगीरोड
46.	केसवाही से अमरकंटक	अनूपपुर, जैतहारी, बैंकठनगर, पेण्ड्रारोड, केंवची
47.	केसवाही से पेण्ड्रारोड	अनूपपुर, जैतहारी, बैंकठनगर
48.	पेण्ड्रारोड से चगेंरी	लालपुर, बैंकठनगर, आमाडांड, धरहर, सिवनी, मरवाही, [illegible]
49.	मनेन्द्रगढ़ से शहडोल	राजनगर, चरोर, परासी, मरवाही, सिवनी, खुटाटोला, जैतहारी, अनूपपुर, [illegible], धनपुरी, बुढार.
50.	पेण्ड्रारोड से बेलझरिया	लालपुर, बैंकठनगर, आमाडांड धरहर, सिवनी, पण्डी, मरवाही, [illegible], [illegible]
51.	चिरमिरी से डाल्टेनगंज	बैंकुठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, [illegible], [illegible] गढवारोड स्टेशन, पडवामोड.
52.	वाड्रफनगर से डाल्टेनगंज	त्रिकुण्डा, रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढवा, गढ़वारोड, स्टेशन

रायपुर संभाग क्षेत्रांतर्गत—

(1)	(2)	(3)
1.	दाढ़ी से हाथा डांडू	छिरहा, कठौतिया, नवागढ़, छेरकापुर
2.	बलौदाबाजार से कवर्धा	पलारी, खरोरा, तिल्दा, सिमगा, बेमेतरा, इंदौरी
3.	बलौदाबाजार से रानीतराई	पलारी, खरोरा, सारागांव, रायपुर, अम्लेश्वर, जा[illegible]गांव, फुंडा, [illegible]
4.	बलौदाबाजार से बिलासपुर	करहीबाजार, बरतोरी, बिल्हा
5.	बलौदाबाजार से बारनवापारा	अमेरा, बिनौरी, कोसमंदा, सोनारदेवरी, दतान, तुरतुरिया
6.	कसडोल से कवर्धा	लवन, सेहासी, ओडगन, खरतोरा, भैंसा, खरोरा, तिल्दा, बेमेतरा इंदौरी
7.	खरोरा से बलौदाबाजार	भैंसा, संडी, पलारी, अमेरा
8.	खरोरा से शिवरीनारायण	संडी, पलारी, बलौदाबाजार, लवन, कसडोल, गिधौरी
9.	खरोरा से बिलासपुर	हिरमी, लवन, सुहेला, भाटापारा, नारायणपुर, बेलतरा, [illegible]
10.	खरोरा से मुंगेली	मुहरेंगा, ताराशिव, तिल्दा, सिमगा, नांदघाट, सम्बलपुर, पांडरभाठा
11.	खरोरा से कवर्धा	मुहरेंगा, तिल्दा, सिमगा, बेमेतरा, कारेसरा, इंदौरी
12.	खरोरा से सारंगढ़	संडी, पलारी, बलौदाबाजार, लवन, कसडोल, गिधौरी, बिलाईगढ़, [illegible]
13.	सोनारदेवरी से रायपुर	कोसमदा, बिनौरी, पलारी, खरोरा, सारागांव [illegible]
14.	सोनारदेवरी से शिवरीनारायण	धाराशिव, बगबुढ़ा, लवन, गिधौरी [illegible]
15.	सोनारदेवरी से भाटापारा	कोसमदा, गिनौरी, पलारी, अमेरा, बलौदाबाजार, रवान, [illegible]
16.	सोनारदेवरी से बिलासपुर	कोसमदा, बिनौरी, पलारी, बलौदाबाजार, भाटापारा, नारायणपुर, [illegible]
17.	रानीतराई से बेलहारी	
18.	धमतरी से रूद्री	
19.	धमतरी से गंगरेल	रूढ़ी
20.	बांसबिनौरी से गिरौदपुरी	लवन, कसडोल
21.	बांसबिनौरी से सिरपुर	रोहासी, गिधपुरी
22.	तिल्दा से मुंगेली	सिमगा, दामाखेडा, नांदघाट, पुरा, सम्बलपुर, पररभट्टा
23.	चक्रवाय से रायपुर	दामाखेडा, सिमगा, धरसींवा
24.	रायपुर से बेमेतरा	धरसींवा, सिमगा, नांदघाट, मलदा, मउ, चंदनु

(1)	(2)	(3)
25.	रायपुर से मोहगांव	धरसींवा, सिमगा, नांदघाट, मुंगेली, फास्टरपुर, कडा
26.	रायपुर से खुडीया	धरसींवा, सिमगा, नांदघाट, मुंगेली, लोरमी, खाम्ही
27.	रायपुर से सरइसेत	धरसींवा, सिमगा, नांदघाट, मुंगेली, लोरमी, खाम्ही, डिण्डौरी
28.	रायपुर से बिलासपुर	सारागांव, खरोरा, हिरमी, रावन, सुहेला, भाटापारा, नारायणपुर, चैतलपुर, सरगांव
29.	महासमुंद से बिलासपुर	आरंग, खरोरा, तिल्दा, सिमगा, नांदघाट, सरगांव, हिर्री
30.	महासमुंद से भाटापारा	नदीमोड, आरंग, बनरसी, कोसरंगी, खरोरा, कठिया, मोहरा, हिरमी, रावन, पडकीडीह, सुहेला.
31.	मरका से बेमेतरा	उमरिया, धौराबंद, छिरहा, कटौतियाँ, दाढ़ी, कारेसरा
32.	मरका से बेमेतरा	धौराबंद, छिरहा, कठौतिया, दाड़ी, बिपतरा, खंडसरा, गर्रा
33.	मरका से बेमतरा	बिपतरा, चुचरूंगपुर, पंचभैय्या, दाढ़ी, उमरिया, कारेसरा
34.	कठौतिया से कवर्धा	छिरहा, दाढ़ी, उमरिया, दसरंग, इंदौरी, बिरकोना
35.	पंचभैय्या से बेमेतरा	दाढ़ी, खंडसरा, गर्रा
36.	अधियारखोर से भाटापारा	मरका, खाम्ही, चंदनु, मउ, मलदा, नांदघाट, रोहरा
37.	कठौतिया से बेमेतरा	छिरहा, दाढ़ी, हेमाबंद, खंडसरा, गर्रा
38.	प्रतापपुर से बेमेतरा	दाढ़ी, हेमाबंद, खंडसरा, गर्रा
39.	बेमेतरा से प्रतापपुर	दाढ़ी, कारेसरा, उमरिया
40.	सम्बलपुर से बेमेतरा	नेहना, बतनारा, खेली, चंदनु
41.	बेमेतरा से भाटापारा	पडकीडीह, मरका, खाम्ही, चंदनु, नांदघाट, रोहरा
42.	सिमगा से बिलासपुर	दामाखेडा, नांदघाट, सरगांव
43.	सिमगा से भाटापारा	दामाखेडा, लिमतरा, रोहरा
44.	कवर्धा से पंचभैय्या	कोयलारी, किरीतबाधा, चेचांगमेटा, मरका, नव[illegible], पिपरिया, बिरकोना
45.	पंचभैय्या से भाटापारा	दाढ़ी, खंडसरा, अतरिया, अधियारखोर, मरका, खाम्ही, चदनु, मउ, मल्दा, नांदघाट, रोहका.
46.	कवर्धा से भाटापारा	बेमेतरा, सिमगा, नांदघाट
47.	अमोदी से रायपुर	[illegible] रसौटा, तुलसी, संकरी, चोरभट्टी, कौरासी, भौंसा, खरोरा, सारागांव, दोंदे
48.	रायपुर से भाटापारा	[illegible] सिलतरा, धरसींवा, सांकरा, सिमगा, दामाखेडा, लिमतरा, नांदघाट, रोहरा
49.	अर्जुनी महासमुंद	बल्दाकछार, औराई, मरौद, सिरपुर, छपोरा, कुहरीपडाव, तुमगांव.
50.	अर्जुनी से कसडोल	महडीपार, ठकुरदिया, टेमरी, सेमरिया
51.	राजनांदगाव से आतरगांव	तुमडीबोड, डोंगरगांव, खुन्नी, आयाबांध
52.	राजनांदगांव से आतरगांव	सिंघोला, रानीतराई, खुन्नी, आयबांधा
53.	राजनांदगांव से आतरगांव	रानीतराई, देवरी, खुन्नी, आयबांधा
54.	मरका से बेमेतरा	बिपतरा, चुचरूंगपुर, पंचभैय्या, दाड़ी, खंडसरा, गर्रा
55.	कवर्धा से सिरपुर	बेमेतरा, सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, कमडोल
56.	कवर्धा से भोरमदेव	राजानवागांव
57.	बेमेतरा से भोरमदेव	कारेसरा, इंदौरी, कवर्धा, राजननवागांव

(1)	(2)	(3)
58.	खम्हारिया से भोरमदेव	बोछिया, ठाठापुर, कवर्धा, राजानवगांव
59.	कवर्धा से पंचभैय्या	कोर्रालारी, फिरोबंधा, चेचानमेटा, गोजाडीह, मरका, नवघटा, पिपरिया, बिरकोना
60.	सम्बलपुर से बेमेतरा	मेहना, बतनाराय, रवेली, चंदनु, पंडतराई, ढोलिया
61.	बेमेतरा से भाटापारा	पडकीडहीह, मरका, खाम्ही, नांदघाट, रोहरा
62.	दुर्ग से सारंगढ़	रायपुर, खरोरा, खरतोरा, रोहासी, लवन, कसडोल, गिधौरी, बिलईगढ़, भटगांव, सरसिवा.
63.	अभनपुर से आरंग	भेलवाडीह, गनौद, मोखला
64.	भखारा से राजिम	बिगदेही, कुरूद, नारी, भिलाई, नवापारा
65.	भखारा से राजिम	कोलियारी, थुहा, भठागांव, कुरूद
66.	मगरलोड से रायपुर	करेली, कुंडेल, राजिम, अभनपुर
57.	मगरलोड से रायपुर	हसदा, खिसोरा, राजिम, अभनपुर
68.	नवापारा से छुरा	पांडुका, कोंदकेरा, जतमई
69.	रायपुर से अभनपुर	मानाबस्ती, केन्द्री
70.	चम्पारण से पाटन	तोरला, कठिया, अभनपुर, चंडी, तरीघाट
71.	चम्पारण से कुरूद्व	पारागांव, नावापारा, नारी, कठौली
72.	चम्पारण से कुरूद्व	पारागांव, नवापारा, मानिकचौरी, अभनपुर, दर्बा, कल्ले
73.	अभनपुर से रायपुर	सारखी, कोलर, छछानपैरी, सेजवहार
74.	अभनपुर से आरंग	कठिया, तोरला, कुम्हारी, भुरका, छटेरा, लिंगाडीह
75.	तामासिवनी से अभनपुर	कठिया, तोरला, जामगांव
76.	अभनपुर से आरंग	कठिया, तोरला, तामासिवनी, गनौद, मोखला
77.	बरतोरी से बिलासपुर	बिल्हा, चकरभाठा
78.	गिधौरी से डुमरपाली	बिलईगढ़, भटगांव, सारंगढ़, बरमकेला
79.	चुरकीदादर से राजिम	कोसममुडा, परसुदाखुर्द, मुडामांव, फिंगेश्वर
80.	राजिम से छुरा	बेलटुकरी, तरीघाट, छुईया, जमाही, मडेली
81.	नगरी से रायपुर	दुगली, सिंगपुर, मोहंदी, कुरूद, अभनपुर
82.	खौली से आरंग	कोसरंगी
83.	महासमुंद से गरियांबंद	भीमखोज, बागबाहरा, कोमाखान, छुरा
84.	कोसीर से गिधौरी	सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ़
85.	जशपुर से सलिहा	सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव
86.	जशपुर से बिलाईगढ़	सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव, सलिहा
87.	जशपुर से बसना	सारंगढ़, सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ़, सलिहा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2006

क्रमांक/05/वा. भू. अ./06.—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 अ 82 वर्ष 1991-92, ग्राम मांढर, प. ह. नं. 97, तह. जिला रायपुर के संबंध में दिनांक चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना क्रमांक 1 से खाना क्रमांक 6 तक की भूमि जिसका अर्जन अवार्ड दिनांक 17-3-1994 द्वारा किया गया है को जनहित में भू-अर्जन से प्रत्याहृत किया जाना समीचीन है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में खाना क्रमांक 1 से खाना क्रमांक 6 तक की वर्णित भूमि को भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 अ-82 वर्ष 1991-92 दिनांक 17-3-1994 में पारित अवार्ड से प्रत्याहरण किया जाता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम/प. ह. नं. (4)	खसरा नं. (5)	रकबा हेक्टर (6)
1.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	36/1	0.085
2.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	47	1.849
3.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	67	1.651
4.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	107/4	0.267
5.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	107/9	0.142
6.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	650	0.959
7.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	37/2	0.089
8.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	706 एवं 707	0.429
9.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	39 एवं 40	0.583
10.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	46	0.858
11.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/10	0.283
12.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/14	0.729
13.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/19	2.541
14.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/22	1.372
15.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/31	2.711
16.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/32	1.092
17.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	49/3	0.089
18.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	52	1.825
19.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	53	1.206
20.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/3 एवं 665/5	2.772
21.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/30	3.986
22.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/25	0.202
23.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	55/2	0.392

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/57	0.202
25.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	57/1	0.077
26.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	58	0.809
27.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	64 एवं 65	0.433
28.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	68/1	0.051
29.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	74/1	0.088
30.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	78/2	0.151
31.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	81/1	1.026
32.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	85/4	0.219
33.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	658/4	0.174
34.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	643/1	0.282
35.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	91	0.692
36.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	92/2	0.174
37.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	92/7	0.190
38.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	92/5	0.255
39.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	92/8	0.109
40.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	102/2	0.187
41.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	670/2	0.405
42.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	104/1 एवं 105	0.306
43.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	107/1	1.380
44.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	107/8	0.299
45.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	643/2	0.202
46.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	643/3	0.280
47.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	646/3	0.056
48.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	649/3	0.214
49.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	657/3	0.020
50.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	657/6	0.093
51.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	709	0.242
52.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	710	0.134
53.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	656/3	0.117
54.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	651	0.121
55.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	653	0.466
56.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	655/1	0.097
57.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	699/2	0.336
58.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	701/1	0.069
59.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	654	0.049
60.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	659/1	1.740
61.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	659/3	0.061
62.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	723/1	0.599
63.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	655/3	0.478
64.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	656/1	0.175
65.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	656/4	0.303

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	656/5	0.150
67.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/13	4.654
68.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/16	0.749
69.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/21	0.870
70.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/20	0.223
71.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/39	0.405
72.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/27	0.567
73.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	692/1	0.190
74.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	692/2	0.085
75.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/53 एवं 665/54	3.238
76.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/68	0.312
77.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/56	1.028
78.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/64	0.312
79.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	690/1	0.089
80.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	665/65	1.339
81.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	680/2	0.036
82.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	685	2.080
83.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	693	0.251
84.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	700	0.235
85.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	708	0.121
86.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	713/2	0.243
87.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	717	0.085
88.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	718/1	0.283
89.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	718/2	0.320
90.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	721	0.227
91.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	722/1	0.619
92.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	725	0.283
93.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	726	0.138
94.	रायपुर	धरसींवा	मांढर 97	727/9	0.235
			योग	94	61.807 हे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 7 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कबोंगा प. ह. नं. 14	0.113	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर.	जैतपुरी गुग्ला मार्ग के कि.मी. 9/6 में गुग्ला नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्रमांक 8301/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	उतरदा प. ह. नं. 16	02.42	महाप्रबंधक, एन. टी .पी. सी., सीपत जिला बिलासपुर.	रेलपांथ निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्रमांक 8304/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	उतरदा प. ह. नं. 16	1.59	महाप्रबंधक, एन. टी .पी. सी., सीपत जिला बिलासपुर.	रेलपांथ निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्रमांक 8307/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	रैकी प. ह. नं. 13	0.81	महाप्रबंधक, एन. टी .पी. सी., सीपत जिला बिलासपुर.	रेलपांथ निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्रमांक 8310/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	रैकी प. ह. नं. 13	3.50	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत जिला बिलासपुर.	रेलपांथ निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक 8678/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	सिरकीखुर्द प. ह. नं. 12	0.44	उप महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत, जिला बिलासपुर.	एम. जी. आर. निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक 8681/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	झांझ प. ह. नं. 16	0.05	उप महाप्रबंधक, एन. टी .पी. सी., सीपत, जिला बिलासपुर.	एम. जी. आर. निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक 8684/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	रतीजा प. ह. नं. 14	0.10	उप महाप्रबंधक, एन. टी .पी. सी., सीपत, जिला बिलासपुर.	एम. जी. आर. निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 11 अगस्त 2006

क्रमांक 8687/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	नेवसा प. ह. नं. 16	0.15	उप महाप्रबंधक, एन. टी .पी. सी., सीपत, जिला बिलासपुर.	एम. जी. आर. निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2005

क्रमांक 17/ अ-82/2005-06/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कौड़िया	0.01	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत	ताप विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 18/ अ-82/2005-06/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	गतौरा	0.99	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत	रेल पथ निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 19/ अ-82/2005-06/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	रांक	0.34	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत	ताप विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2006

क्रमांक 24/ अ-82/2005-06/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	दर्राभाठा	0.25	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत	रेल पथ निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 9 फरवरी 2005

क्रमांक 84/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-ढिमानी, प. ह. नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.148 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281/13	0.020
422/1	0.016
281/12	0.012
264/1	0.012
428/1	0.020
178/3	0.040
172/18	0.028
योग	0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भागोडिह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 नवम्बर 2005

क्रमांक 345/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-तुरकापाली, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26/1	0.085
28/3	0.024
73/2, 3, 4, 85/1, 2	0.097
122/1, 137/3	0.008
योग	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तुरकापाली माइनर नहर. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 36/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खेमड़ा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
131/3	0.020
91/3	0.016
83/1	0.053
79/2	0.065
योग	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खेमड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 37/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.516 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
895/5	0.008
888/3	0.008
895/6	0.008
899/2	0.045
1016/2	0.040
721	0.065
179/1	0.121
181/4	0.008
140/3	0.020
172/2	0.020
42	0.061
160	0.028
953/2	0.008
1292/3	0.020
895/7	0.036
887	0.020
योग	0.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरतुंगा माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 38/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धुरकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
195/1	0.008
230/3	0.073
259/5	0.040
199/3	0.040
योग	0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- 2 R माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 39/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम घिंवरा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/1	0.101
309/2	0.097
471/2	0.057
507/1	0.057

(1)	(2)
507/2	0.032
योग	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - देवरघटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 40/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोंमा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.460 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1023	0.097
1024	0.069
1012/2	0.020
1012/3	0.020
737/1	0.061
737/2	0.036
738/2	0.024
739/3	0.024
735	0.061
1009	0.012
786	0.030
739/2	0.016
योग	0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - छपोरा मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक 41/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिहरिद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
810/2	0.008
811/3	0.004
811/2	0.045
821, 822/2	0.057
825	0.028
826/3	0.045
826/4	0.045
910/2	0.081
913/3	0.036
955/7	0.028
963	0.170

(1)	(2)
1098/1	0.190
1131	0.036
1132	0.126
1150	0.057
1152	0.028
1199	0.016
835/1	0.004
योग 18	1.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पिहरिद माइनर (कुरदा वितरक) पूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 156/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.131 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16/4	0.004
19/1	0.032
20/2	0.012
1046	0.060
1047/4, 6	0.016
1047/1	0.016
16/1	0.008
53/4	0.032
52/1	0.040
51/1	0.032
1248/1	0.040
1055/1	0.012
1286	0.016
1413/11	0.004
1287/2	0.056
1279/2	0.016
1413/2	0.032
1240/4	0.012
1240/5	0.012
1248/2	0.024
1041	0.056
1240/3	0.036
1413/3	0.016
1219	0.020
942/1	0.032
943/1	0.086
943/6	0.040
917/1	0.045
918/1	0.049
918/2	0.049
944/8	0.049
26/2	0.020
943/11	0.069
45/1	0.008
955/8	0.036
940/2	0.024
1042/2	0.020
योग	1.131

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छपोरा मा:

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति, जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जैजैपुर, दिनांक 10 अगस्त 2006

उपाध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा
नियम 84 (11)

क्रमांक/मण्डी/निर्वा./2006-07.—मण्डी समिति जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के उपाध्यक्ष के रूप में श्री सुरेश चन्द्रा पिता श्री दुर्बल चन्द्रा मु. पो. झालरौंदा को निर्वाचित घोषित किया गया.

जयंत पवार,
प्राधिकृत अधिकारी.